

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

आप.प्र.क्र-1043 / 15

संस्थित दिनांक-02.11.2015

फाई.क्र.234503012172015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
 जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

किशोर कटरे पिता निरंजन कटरे, उम्र-24 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी-ग्राम मोहनपुर, पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

दिनांक-11.07.2017 को घोषित:-

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338(दो बार) का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना 16.10.2015 को सुबह 9:00 बजे, पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लौगूर के पास मोड़ पर आम के पेड़ के नीचे लोकमार्ग पर मोसीन बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0220 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहतगण सुमरन मरावी व सहदेव मरावी को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2015 को राजकुमार हिरकने पुलिस चौकी सोनेवानी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को राजकुमार हिरकने को अस्पताल तहरीर क्रमांक 10/15 जांच के लिए प्राप्त होने पर उन्होंने घटना के आहत सुमरन मेरावी के कथन लेख किये थे। जिसमें उसने बताया था कि दिनांक 06.10.2015 को ग्राम बम्हनी से बालाघाट मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.एफ-3888 से जाते समय सुबह 9:00 बजे लौगूर के पास एस.एच-26 मेन रोड पर आगे टर्निंग पर मोसीन बस क्रमांक-एम.

पी-50/पी-0220 के चालक ने बस को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे आहत सुमरन मेरावी के दाहिने पैर की पिंडली व जांघ में चोट लगी थी तथा पैर की हड्डी टूट गई थी। आहत सहदेव मरावी के दाहिने पैर में चोट लगी थी और हड्डी टूट गई थी। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराकर पुलिस चौकी सोनेवानी में 0/15 कायमी की थी। उसके आधार पर पुलिस थाना रूपझर ने अपराध क्रमांक-169/15 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 16.10.2015 को सुबह 9:00 बजे, पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लौगूर के पास मोड़ पर आम के पेड़ के नीचे लोकमार्ग पर मोसीन बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0220 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण सुमरन मरावी व सहदेव मरावी को ठोस मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की थी ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण दोनो विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7— चिकित्सक गीता बोकडे अ.सा.7 का कथन है कि दिनांक 06.10.2015 को सहायक उपनिरीक्षक गौतम चौकी जिला चिकित्सालय बालाघाट से आहत सुमरन मेरावी, सहदेव मेरावी को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने मेडिकल परीक्षण में आहत सुमरन को निम्नलिखित उपहतियां पायी थी—चोट (क01) एक फटा हुआ घाव दाहिने आईब्रो के समानांतर था जिसका आकार 04 सेमी. गुणा 1.5 सेमी. था जो हड्डी की गहराई तक था। चोट (क02) बायें जांघ के मध्य तिहाई भाग में बहुत अधिक दर्द था, आकार बिगड़ा हुआ था। चोट (क03) बायीं जांघ के बाहरी ओर था जिसका आकार 02 सेमी गुणा .5 सेमी मांसपेशियों की गहराई तक था। चोट (क04) बायें पैर के मध्य तिहाई भाग पर अत्यधिक दर्द था आकार बिगड़ा हुआ था। चोट (क05) एक कटा हुआ भाग जो बायें पैर में था जिसका आकार 3 सेमी गुणा .5 सेमी तक का होकर हड्डी की गहराई तक था। चोट (क06) दाये पैर पर खरौंच के निशान था जो 02 सेमी से डार्डमीटर तक था। चिकित्सक ने आहत को चोट क. 01 के लिए एक्सरे की सलाह एवं चोट 02 व 04 के लिए बायें जांघ की एक्सरे की सलाह दी थी। चोट क05 के लिए पैर के एक्सरे की सलाह दी थी। चिकित्सक के अभिमत में चोट क03 एवं 06 साधारण प्रकृति की होकर सभी चोटें किसी कठोर एवं बोथरी वस्तु से मेडिकल परीक्षण से 24 घण्टे के अंदर की थी। चिकित्सक ने आहत का ईलाज कर जिला अस्पताल बालाघाट में आगे के उपचार के लिए भर्ती किया था। आहत सुमरन का मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.09 है। आहत को जिला चिकित्सालय लाकर उपचार हेतु सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था, भर्ती टिकिट प्र. पी.10 है।

8— चिकित्सक ने आहत सहदेव का मेडिकल परीक्षण करते समय पाया था कि उसकी दाये पैर की जांघ का आकार बिगड़ा हुआ था एवं उसकी जांघ को हिलाने डुलाने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उनके अभिमत में आहत को दायीं जांघ की एक्सरे की सलाह दी थी। आहत की चोट किसी कठोर वस्तु से आ सकती थी उक्त चोटें 24 घण्टे के अंदर की थी। चिकित्सक ने आहत का प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल बालाघाट में सर्जिकल वार्ड में विशेषज्ञ मत के आधार पर भर्ती कराया था। मेडिकल चिकित्सक प्रतिवेदन प्र.पी.11 है आहत का उपचार भर्ती टिकिट प्र.पी.12 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने यह बताया है कि आहत सहदेव जैसी

चोट डामर वाली रोड पर गिरने से आ सकती थी। चिकित्सक ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि आहत सुमरन की चोट क.03 जैसी चोट गिरने से आ सकती थी। चिकित्सक ने बताया कि चोट क.01, 05 के बारे में एक्सरे के बाद ही बताया जा सकता था उससे पहले नहीं। चोट क.04 के बारे में अभिमत नहीं दिया जा सकता था। चिकित्सक ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि आहत सुमरन को आयी चोटें गिरने से आ सकती थी। चिकित्सक ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि वाहन के गिरने व अनियंत्रित होने से उपरोक्त चोटें कारित हो सकती थीं। साधारण प्रकृति की चोटें गिरने से आ सकती हैं।

9— डी.के.राउत अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 13.10.15 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 06.10.15 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के.सेन ने आहत सहदेव एवं सुमरन के दाहिने जांघ का एक्सरे किया था। आहत सुमरन के दाहिने पैर का एक्सरे किया था। दोनों आहतगण को चिकित्सक समद ने एक्सरे के लिए रिफर किया था। चिकित्सक ने आहत सहदेव की एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके दाहिने जांघ की एक फीमर हड्डी के निचले एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। जिसमें कैलस नहीं था। चिकित्सक ने आहत सुमरन की एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसके दाहिने पैर की टीबीया एवं फिबुला हड्डी के उपरी एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। दाहिने जांघ की फीमर हड्डी के मध्य भाग में अस्थिभंग होना पाया था। आहत सुमरन की दोनों चोटों में कैलस नहीं था। आहत सहदेव की एक्सरे प्लेट क. 10632 एवं आहत सुमरन की एक्सरे प्लेट क. 10640 है। चिकित्सक द्वारा दी गयी सहदेव की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 एवं आहत सुमरन की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिन पर साक्षी के क्रमशः ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

10— प्रकरण में यह देखना है कि क्या आहतगण को उक्त चोटें अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से दुर्घटना कारित कर की थीं। इस संबंध में सुमरन अ.सा.03 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना 06 अक्टूबर 2015 की सुबह 09:00 बजे की है। उक्त साक्षी उसके भाई सहदेव मेरावी के साथ मोटरसाईकिल में बैठकर बम्हनी से बालाघाट जा रहा था। बालाघाट की ओर से आ रही मोहसीन बस क्रमांक एम.पी.50/पी.ओ-220 के चालक ने वाहन को तेज गति से लाकर साक्षी के वाहन में टक्कर मार दी थी। जिससे साक्षी के एवं उसके

भाई के दाहिने पैर में चोटें आयी थी। साक्षी का पैर टूट गया था। साक्षी का ईलाज बालाघाट एवं नागपुर में हुआ था। वह नागपुर में ढेड़ माह तक भर्ती रहा था। दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई थी। पुलिस ने मौकानक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था एवं साक्षी के बयान लिये थे। सहदेव अ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में सुमरन की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना नवम्बर 2015 की सुबह 08:00-08:30 बजे की है। साक्षी उसके भाई की मोटरसाईकिल से बालाघाट जा रहा था। बालाघाट की तरफ से आ रही मोहसीन बस ने साक्षी को एवं उसके भाई को टक्कर मार दी थी। जिससे दोनों भाईयों के पैर की हड्डी टूट गयी थी। 108 एम्बुलेंस आयी थी, साक्षी एवं उसके भाई को उठाकर बुढ़ी अस्पताल बालाघाट ले गयी थी। साक्षी का ईलाज हुआ था इसके बाद साक्षी को नागपुर ले गये थे। जहां साक्षी बीस दिन तक भर्ती रहा था। साक्षी को वाहन का नम्बर याद नहीं है। साक्षी के घटना के बारे में पूछताछ कर बयान लिये थे। सुमरन अ.सा.3, सहदेव अ.सा.02 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने सूझाव में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 06.10.2015 की लौगूर के टरनिंग के पास आम के पेड़ के पास की है। अभियुक्त ने उसके वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर साक्षीगण की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। सहदेव अ.सा.02 का कथन है कि वाहन का नम्बर एम.पी.50/पी.ओ-220 था। दुर्घटना करने के बाद मोहसीन बस के चालक ने गाड़ी को खड़ी करके रखा था। एम्बुलेंस आने के बाद घटनास्थल से भाग गया था।

11- सुरेन्द्र धुवारे आरक्षक अ.सा.09 का कहना है कि दिनांक 17.10.2015 को उसे चौकी प्रभारी द्वारा अपराध क्र. 0/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए थाना रुपझर भेजा था। साक्षी शून्य अपराध की असल कायमी कराने के लिए थाना रुपझर गया था। शून्य अपराध की असल कायमी प्र.पी.13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12- राजकुमार हिरकने सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.04 का कहना है कि दिनांक 16.10.2015 को पुलिस चौकी सोनेवानी में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी प्रभारी अस्पताल द्वारा भेजी गयी तहरीर क्रमांक 10/15 जांच के लिए प्राप्त हुई थी। जांच के उपरांत 0/15 की कायमी के आधार पर बस क्रमांक एम.पी.50/पी.ओ-0220 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्र.पी.04 लेखबद्ध की थी। साक्षी द्वारा रिपोर्ट शून्य पर कायमी के उपरांत असल कायमी के लिए रिपोर्ट थाना रूपझर भिजवायी थी। साक्षी ने जांच में आहत सुमरन मेरावी के कथन लेखबद्ध किये थे। दिनांक 17.10.2015 को सुमरन की निशानदेही पर पर मौकानक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था एवं दिनांक 20.10.15 आहत सहदेव के बयान लेखबद्ध किये थे। दिनांक 29.10.15 को अभियुक्त से पुलिस चौकी सोनेवानी में बस क्रमांक एम.पी.50/पी.-0220 मय दस्तावेजों के साक्षी अब्दुल हनीफ एवं संजय के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था। उक्त दिनांक को ही बस क्रमांक एम.पी.50/पी.ओ-0220 के पंजीकृत स्वामी अब्दुल हनीफ को प्र.पी.05 का नोटिस देकर चालक की जानकारी प्राप्त की थी। जिसमें उसने बताया था कि घटना दिनांक 06.10.2015 को प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को अभियुक्त चला रहा था। अभियुक्त का उपस्थिति पंचनामा प्र.पी.02 है। अनुसंधान अधिकारी ने जप्तशुदा वाहन का दिनांक 30.10.2015 को मैकेनिकल परीक्षण राजकुमार बोरीकर से कराया था।

13— अब्दुल हनीफ अ.सा.08 का कहना है कि उसके समक्ष अभियुक्त से किसी प्रकार की जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की गयी थी किन्तु साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सूझाव में यह स्वीकार किया है कि बस क्रमांक एम.पी.50/पी.ओ-0220 उसके नाम से है। बस से संबंधित समस्त दस्तावेज साक्षी के पास हैं। उक्त बस को अभियुक्त चलाता था। साक्षी ने दिनांक 06.10.2015 को बस क्रमांक एम.पी. 50/पी.ओ-0220 को अभियुक्त किशोर कटरे को चलाने को दी थी। साक्षी ने बताया है कि साक्षी ने जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे और जप्ती की जो कार्यवाही हुई थी साक्षी उन दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ सकता था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.01 जप्ती पंचनामा, प्र.पी.02 उपस्थिति पत्रक पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस साक्षी के समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी को यह पता नहीं है कि जप्ती पत्रक में क्या लिखा था। इस साक्षी ने प्र.पी.01 की जप्ती कार्यवाही एवं प्र. पी.02 की उपस्थिति पत्रक की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। संजयकुमार अ.सा.01 का कहना है कि उसके समक्ष अभियुक्त से कोई वाहन एवं दस्तावेज जप्त नहीं हुआ था। जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 है। इस साक्षी के समक्ष अभियुक्त को

प्र.पी.02 के गिरफ्तारी पंचनामा के अनुसार गिरफ्तार किया था। प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी.02 के गिरफ्तारी पंचनामा पर साक्षी के क्रमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सूझाव में यह स्वीकार किया है कि मय दस्तावेजों के जो साक्षी के समक्ष जप्ती हुई थी तभी इस साक्षी ने उस पर हस्ताक्षर किये थे। यह साक्षी यह समझता है कि किस दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और किस पर नहीं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा एवं प्र.पी.02 के अभिरक्षा पत्रक पर इस साक्षी ने पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इस साक्षी के समक्ष कोई वाहन जप्त नहीं हुआ था। इस साक्षी के समक्ष प्र.पी.02 की कार्यवाही नहीं हुई थी। संजय अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य में अभियुक्त से जप्ती एवं अभियुक्त के अभिरक्षा पत्रक की कार्यवाही होने से इंकार किया है।

14— राजकुमार बोरीकर अ.सा.05 का कहना है कि इस साक्षी ने दो वर्ष पूर्व एक बस का परीक्षण किया था। साक्षी ने परीक्षण में बस ठीक अवस्था में पायी थी। बस में कोई खराबी नहीं थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 30.10.15 को बस क्रमांक एम.पी.50/पी.ओ-0220 का परीक्षण किया था साक्षी ने बस को चलाकर देखा था। बस की स्टेरिंग, लाईट, हेडलाईट, ब्रेक, हॉर्न ठीक अवस्था में कार्य कर रहे थे। इस साक्षी द्वारा दी गयी मैकनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है जिसके अ से अ भाग पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने यह बताया है कि उसने वाहन परीक्षण करने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने प्र.पी.06 की मैकनिकल रिपोर्ट पर पुलिस थाना रूपझर में हस्ताक्षर कराये थे साक्षी चौकी नहीं गया था। साक्षी ने सभी कार्यवाही थाना रूपझर में की थी।

15— प्रकरण के आहत सहदेव अ.सा.02, सुमरन अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना कारित करने वाली बस के चालक ने घटना के समय बस को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उन्हें टक्कर मारी थी। घटना में सहदेव के दाहिने पैर की हड्डी टूट गयी थी। चिकित्सक गीता बोकडे ने भी उनकी साक्ष्य में बताया है कि सहदेव के दाहिने पैर की जांघ का

आकार बिगडा हुआ एवं उसकी जांघ को हिलाने डुलाने पर उसे कठिनाई हो रही थी। इस संबंध में चिकित्सक द्वारा दिया गया सहदेव का मेडिकल प्रतिवेदन प्र.पी. 11 है। डी.के.राउत अ.सा.05 ने सहदेव की दाहिने जांघ का एक्सरे किया था। तब उसकी दाहिने जांघ की फीमर हड्डी के निचले एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। इस साक्षी की साक्ष्य से सहदेव के दाहिने पैर की अस्थिभंग का समर्थन होता है। सुमरन ने घटना के समय उसके दाहिने पैर में चोट आना व पैर टूटना बताया है। चिकित्सक गीता बोकडे ने उसकी साक्ष्य में सुमरन की चोट क03 बायीं जांघ के बाहरी ओर पायी थी जो मांसपेशियों की गहराई तक थी। बायें पैर की चोट क03 का आकार बिगडा हुआ था एवं आहत को एक कटा हुआ भाग बायें पैर की ओर था। चिकित्सक डी.के.राउत ने एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर सुमरन की दाहिने पैर की टीबीया एवं फिबुला हड्डी के उपरी एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। दाहिने जांघ की फीमर हड्डी के मध्य भाग में अस्थिभंग होना पाया था। डी.के.राउत की साक्ष्य से एवं प्र.पी.08 की एक्सरे रिपोर्ट से आहत सुमरन के दाये पैर की अस्थिभंग एवं दाहिने जांघ की हड्डी के अस्थिभंग होने का समर्थन होता है। इस साक्षी की साक्ष्य से एवं प्र.पी. 07 की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट से आहत सहदेव की दाहिने पैर की जांघ की हड्डी के अस्थिभंग का भी समर्थन होता है।

16— प्रकरण में जप्त वाहन के स्वामी अब्दुल हनीफ ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से इस बात का समर्थन किया है कि दिनांक 06.10.2015 को घटना कारित करने वाली बस को अभियुक्त को चलाने को दी थी। इससे यह स्पष्ट है कि घटना के समय प्रकरण में जप्तशुदा बस को अभियुक्त चला रहा था। सहदेव अ.सा.02, सुमरने अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में मोहसीन बस के चालक द्वारा घटना कारित करना बताया है। मोहसीन बस का स्वामी अब्दुल हनीफ है। अब्दुल हनीफ की साक्ष्य से इस बात का समर्थन होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त बस को चला रहा था। इस कारण सहदेव अ.सा.02, सुमरने अ.सा.03 की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा बस को घटना दिनांक समय व स्थान पर उलावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन से उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उनके दाहिने पैर में अस्थिभंग कारित किया था।

17— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का आरोप एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 का आरोप आहत सुमन मेरावी एवं सहदेव मेरावी के संबंध में प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के आरोप में तीन माह के सश्रम कारावास से एवं 300/-(तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही करने पर अभियुक्त को पंद्रह(15) दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के आरोप में आहत सुमरन के संबंध में छः माह के सश्रम कारावास से एवं 300/-(तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। एवं अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के आरोप में आहत सहदेव के संबंध में छः माह के सश्रम कारावास से एवं 300/-(तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को क्रमशः पंद्रह-पंद्रह(15-15) दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त को सभी सजाएँ साथ-साथ भुगतायी जावे।

18- अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19- अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे।

20- अभियुक्त को निर्णय की प्रति निशुल्क दी जावे।

21- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/पी.ओ-0220 आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट